

चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ

Chaudhary Charan Singh University, Meerut



अधिसूचना

पत्रांक : परीक्षा/5129
दिनांक: 30.07.2021

यह प्रत्येक परीक्षार्थी का दायित्व है कि वह online परीक्षा की शुचिता अक्षुण्ण रखे। परीक्षार्थी द्वारा किसी भी प्रकार का अनुचित व्यवहार तथा अनुचित गतिविधि सर्वथा वर्जित है।

1. Online परीक्षा के दौरान परीक्षार्थी पर लगातार नजर रखी जायेगी। सम्पूर्ण परीक्षा का Live Audio तथा Video Technical तथा Human Proctoring द्वारा निगरानी में रहेगा।
2. छात्र की अनुचित गतिविधि पर उसको चेतावनी (Message अथवा Audio द्वारा) दी जायेगी। चेतावनी देने के बावजूद भी परीक्षार्थी द्वारा उचित व्यवहार न किये जाने पर उसे 'अनुचित साधनों का इस्तेमाल' करते हुए माना जायेगा।
3. इस प्रकार के परीक्षार्थियों के एक प्रश्नपत्र की परीक्षा अथवा सम्पूर्ण सेमेस्टर की परीक्षा को नोडल अधिकारी द्वारा अमान्य करार दिया जायेगा। नोडल अधिकारी का उक्त निर्णय अन्तिम होगा तथा इसके विरुद्ध कोई अपील स्वीकार नहीं की जायेगी।
4. Online परीक्षा का विकल्प चुनने वाले छात्र यदि एक या अधिक प्रश्नपत्र Online माध्यम से देने के पश्चात बचे हुए प्रश्नपत्र Offline माध्यम से देना चाहते हैं तो वह ऐसा कर सकते हैं।
5. एक बार Online परीक्षा में login हो जाने के पश्चात छात्र को उसी दिन की Offline परीक्षा में अनुमत नहीं किया जायेगा। यदि कोई छात्र ऐसा करता है तो उसे अनुचित साधन Unfair Means का प्रयोग माना जायेगा।
6. ऐसे छात्र जिन्होंने निर्धारित तिथि (23.07.2021) तक Online परीक्षा का विकल्प नहीं चुना था, को किसी भी दशा में Online परीक्षा में अनुमत नहीं किया जायेगा।
7. Online परीक्षा का विकल्प चुन चुके छात्रों को पुनः अवगत कराया जाता है कि यदि वह किसी कारणवश Online परीक्षा हेतु समर्थ नहीं हैं तो अपने प्रवेशपत्र में अंकित परीक्षा केन्द्र पर निर्धारित समय पर पहुँचकर, Offline परीक्षा में सम्मिलित हो सकते हैं।

Online परीक्षाओं के दौरान निम्न गतिविधियाँ अनुचित साधन का इस्तेमाल (U.F.M.) मानी जायेंगी।

क्रमांक	अनुचित गतिविधि का प्रकार	अनुचित गतिविधि श्रेणी U.F.M. Category	परीक्षार्थी पर प्रभाव
1	Impersonation अर्थात् परीक्षार्थी के स्थान पर किसी और व्यक्ति का परीक्षा देना।	6	उस सेमेस्टर की समस्त परीक्षा से वंचित कर दिया जायेगा तथा कुल 3 साल के लिए पुनः परीक्षा में शामिल नहीं कराया जाएगा।
2	परीक्षा के दौरान लिखित एवं बोलकर अमर भाषा का प्रयोग अथवा ऑनलाइन प्रोक्टर के साथ बदतमीजी	5	उस सेमेस्टर की समस्त परीक्षा से वंचित कर दिया जायेगा तथा कुल 2 साल के लिए पुनः परीक्षा में शामिल नहीं कराया जाएगा।
3	यह आवाज आना कि किसी की अन्य व्यक्ति की अथवा अनुचित सागरी की सहायता ली जा रही है।	3	उस सेमेस्टर की समस्त परीक्षा से वंचित कर दिया जायेगा।
4	परीक्षा के दौरान किसी अन्य व्यक्ति/गैजेट का उपस्थित होना।	3	उस सेमेस्टर की समस्त परीक्षा से वंचित कर दिया जायेगा।
5	कैमरे के सामने चेहरा ढका होना या स्पष्ट न दिखना।	1	उस प्रश्नपत्र की परीक्षा से वंचित कर दिया जायेगा।

30.07.21
परीक्षा नियंत्रक

क्रमशः..... 2

प्रतिलिपि :-

1. प्राचार्य/प्राचार्या/निदेशक/समन्वयक/नोडल अधिकारी/पर्यवेक्षक, समस्त सम्बद्ध महाविद्यालय/संस्थान/परीक्षा केन्द्र, चौ० चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ तथा चौ० चरण सिंह विश्वविद्यालय परिसर, मेरठ को सूचनार्थ एवं इस आशय के साथ प्रेषित कि इसे अपने स्तर से समस्त सम्बन्धित छात्रों को व्यापक रूप से अवगत कराना सुनिश्चित करें।
2. सचिव, कुलपति को मा० कुलपति जी के सूचनार्थ।
3. वैयक्तिक सहायक, प्रति कुलपति को मा० प्रति कुलपति जी के सूचनार्थ।
4. समस्त विभागाध्यक्ष/समन्वयक/वरिष्ठ केन्द्र अधीक्षक (सम सेमेस्टर परीक्षा जून-2021), चौ० चरण सिंह विश्वविद्यालय परिसर, मेरठ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
5. प्रभारी-अति गोपनीय विभाग को सूचनार्थ।
6. उप कुलसचिव/सहा० कुलसचिव/प्रभारी (कमेटी सैल/गोपनीय) को सूचनार्थ।
7. प्रभारी/कार्या० अधीक्षक (परीक्षा/कमेटी सैल/गोपनीय/अति गोपनीय)।
8. प्रभारी-मूल्यांकन/उत्तर पुस्तिका अनुभाग को सूचनार्थ।
9. प्रभारी-रिकार्ड (परीक्षा विभाग) को सूचनार्थ।
10. प्रभारी-कम्प्यूटर केन्द्र/विश्वविद्यालय स्टोर।
11. प्रभारी-विश्वविद्यालय वेबसाइट को इस अनुरोध के साथ कि कृपया सन्दर्भित विज्ञप्ति को वेबसाइट पर उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित करें।
12. मै० मेरिट ट्रैक को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
13. मै० मैस्कॉट सॉफ्टवेब सोल्यूशन्स (प्रा०) लिमिटेड, वाराणसी को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
14. विश्वविद्यालय प्रेस प्रवक्ता।
15. विश्वविद्यालय पूछताछ केन्द्र/सूचना पट।
16. गार्डफाईल-"अधिसूचना"।

सहा० कुलसचिव (परीक्षा)